


कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना (म0प्र0)

विन्दु क्रमांक – एक –अ

विभाग का संगठन/स्थापना/कार्य एवं कर्तव्य :-



विन्दु क्रमांक – एक –ब एवं एक स

दायित्व:-

- जिले मे जन स्वास्थ्य की संतोष जनक स्थिति बनाये रखना ।
- महामारी की रोकथाम ।
- परिवार कल्याण तथा अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।
- जन्मदर एवं मातृ मृत्युदर,शिशु मृत्युदर ,जन संख्या विकासदर मे कमी लाना ।
- शासन की नीतियों ,स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संपादन ।
- जन सम्पर्क ।

कार्य :-

- जिले मे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन के लिये योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन ,मानीटरिंग एवं मूल्यांकन ।
- महामारी की स्थिति मे उसके नियंत्रण के लिये आवश्यक कदम ।
- जिले मे आपात स्थिति मे जिला चिकित्सालय एवं अन्य संस्थाओं के चिकित्सीय संसाधनों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन ।
- स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य संपादन ।

- राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे ,आर0सी0एच0,टीकाकरण,परिवार नियोजन,मलेरिया,क्षय,कुष्ठ,एड्स,टी0बी0,आदि के नियंत्रण कार्यक्रमों का संचालन
- मानीटरिंग हेतु मासिक एवं वार्षिक आंकड़ों का संकलन ,विश्लेषण एवं संप्रेषण तथा आवश्यकतानुसार कार्यवाही ।
- औषधि एवं खाद्य पदार्थों की मिलावट रोकने हेतु कार्य ।
- जिला स्तरीय प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार ।

क्रमांक	विभाग / शाखा	कार्य
1	प्रशासनिक	वेतन निर्धारण,अवकाश स्वीकृति,सेवा पुस्तिका का संधारण,विभागीय जांच,पदोन्नतियां, एव अन्य प्रशासनिक कार्य
2	लेखा	वेतन देयक,जी0पी0एफ0,आयकर,खरीदी के भुगतान,आडिट,बजट नियंत्रण,एम0आर0,टी0.ए0आदि का संचालन
3	भंडार	जिले की औषधियों का क्रय एवं भंडारण तथा वितरण
4	रिकार्ड रूम	सभी रिकार्ड शाखाओं में ही संधारित रहता है । रिकार्ड रूम संचालित एवं स्थापित नहीं है ।
5	तकनीकी जैसे –मलेरिया,कुष्ठ,टी0बी0,आर0सी0ए च, आई0डी0एस0पी0,एड्स,टीकाकरण I,कुष्ठ,जननी एक्सप्रेस	<ul style="list-style-type: none"> ● जिला मलेरिया अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा मलेरिया की रोकथाम हेतु रोगियों की पट्टियां बनाना एवं घर पर ही उपचार प्रदाय ● जिला कुष्ठ अधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ द्वारा जिले में कुष्ठ रोगियों की पहचान कर उपचार उपलब्ध कराना तथा रोकथाम हेतु कार्य करना । ● टी0बी0– जिला क्षय अधिकारी एवं सम्बन्धित स्टाफ द्वारा आर0एन0टी0सी0पी0कार्यक्रमान्तर्गत क्षय रोगियों की पहचान कर उन्हें नियमित उपचार प्रदान करना तथा बीमारी के उन्मूलन हेतु कार्य । ● आर0सी0एच0कार्यक्रम पहुंचविहीन ग्रामों में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना । ● आई0डी0एस0पी0कार्यक्रमान्तर्गत संचारी रोगों की रोकथाम हेतु कार्य । ● एड्स– एड्स नियंत्रण कार्यक्रमान्तर्गत कर्मचारियों द्वारा एड्स की रोकथाम हेतु निःशुल्क परामर्श तथा जांच आदि उपलब्ध कराना । ● टीकाकरण:- कार्यक्रमान्तर्गत जिले के सभी बच्चों एवं गर्भवती माताओं को समय –समय पर टीकाकरण सुविधा प्रदाय करना । ●

		<ul style="list-style-type: none"> जिले मे गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जननी एक्स प्रेस के तहत निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है जिसके तहत सूचना प्राप्त होते ही वाहन से गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र पर लाने की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है ।
--	--	---

विन्दु क्रमांक – 2

विभाग के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

क्र	पदनाम	कर्तव्य
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	म0प्र0वित्त संहिता मे प्रदत्त अधिकार, जिला स्तरीय समस्त वित्तीय अधिकार एवं प्रशासनिक अधिकार
2	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी(डी0एच0ओ0)	राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं मानीटरिंग
3	जिला टीकाकरण अधिकारी	टीकाकरण कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी कार्यों का संचालन एवं क्रियान्वयन
4	जिला कुष्ठ अधिकारी	कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन
5	जिला मलेरिया अधिकारी	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन
6	जिला क्षय अधिकारी	क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन एवं क्रियान्वयन
7	जिला मीडिया एवं उप जिला मीडिया अधिकारी	प्रचार-प्रसार के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना, प्रचार-प्रसार
8	डी0पी0एच0एन0ओ0	एम0सी0एच0कार्यक्रमों का जिले मे संचालन
9	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	समस्त सांख्यिकीय कार्यों का संचालन
10	खंड चिकित्सा अधिकारी	खंड स्तर पर सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं मैदानी कर्मचारियों पर नियंत्रण एवं जन स्वास्थ्य सेवायें
10	बी0ई0ई0	खंड स्तर पर जन शिक्षा का प्रचार-प्रसार

विन्दु क्रमांक – 3

कार्यालय द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण एवं जिम्मेदारी:-

निर्णय लेने की प्रक्रिया

फाईल की शुरुआत
डीलिंग स्टाफ

सारणी चेनल
प्रत्येक स्तर पर कार्यवाही करने
बाला अधिकारी

निर्णय लेने का अधिकार

1.सग्रे-2 एवं 3 प्रशासनिक कार्य
2.लेखापाल वित्तीय कार्य

मु0चि0एवं स्वा0अधि0

मु0चि0एवं स्वा0अधि0

पर्यवेक्षण

सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी अपने-अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने हेतु उत्तरदायी है ।

किस अधिकारी को रिपोर्ट करें :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. अपीलीय अधिकारी संचालक चिकित्सा सेवायें भोपाल

विन्दु क्रमांक – 4

कार्यालय / विभाग द्वारा कार्य संपादन के लिये मापदण्ड:-

विभिन्न कार्यक्रमों के लिये शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं मापदण्डों का उपयोग कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिये प्रयुक्त किया जाता है ।

विन्दु क्रमांक – 5

कार्यालय में रखे जाने वाले कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन कार्य संपादन में उपयोग किये जाने वाले शासन के निर्देश एवं विभागीय नियम के अंतर्गत समय-समय पर प्रकरण का नियमानुसार निराकरण किया जाता है ।

विन्दु क्रमांक – 6

विभिन्न श्रेणी के दस्तावेज जो कार्यालय में रखे जाते हैं :-

1. योजनाओं से सम्बन्धित दस्तावेज ।
2. बजट दस्तावेज
3. वित्तीय दस्तावेज
4. परिवार कल्याण, जननी सुरक्षा, प्रसव परिवहन,
5. सभी दस्तावेज सम्बन्धित शाखाओं में संधारित किये जाते हैं ।

विन्दु क्रमांक – 7

कार्यालय में नीति बनाने या नीतियों के क्रियान्वयन में जन साधारण से सलाह लेने की व्यवस्था है ।

1. जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा लिये गये निर्णय
2. जिला स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास समिति (पंचायत)
3. अन्य समिति- रोगी कल्याण समिति, पी0एन0डी0टी0
4. जिला बीमारी सहायता निधि

विन्दु क्रमांक-8

कार्यालय के कार्य में सलाह मशवरा करने के लिये गठित समितियों का विवरण:-

1. जिला स्वास्थ्य समिति
2. रोगी कल्याण समिति
3. क्रय समिति
4. पदोन्नति समिति
5. पी0एन0डी0टी0समिति

विन्दु क्रमांक-9

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वायोडाटा जिला कोषालय एवं इस कार्यालय में उपलब्ध है ।

विन्दु क्रमांक-10

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन जिला कोषालय के माध्यम से भुगतान किया जाता है जिनका व्योरा जिला कोषालय एवं इस कार्यालय में उपलब्ध है ।

विन्दु क्रमांक -11

कार्यालय के अधीन शाखों एवं विभागों को प्रदान किये गये बजट की जानकारी वर्ष 2007-08 (31.08.2007:) की स्थिति में -

क्र	बजट मद	योजना	प्राप्त राशि	व्यय
1	2211-1508	जिला स्तरीय अमला	4315000	680908
2	2211-2703	प्रत्यक्ष व्यय	990000	3794
3	2211-621 डेनिडा	अति उप स्वा.के	31935000	4661589
4	2211-336	ए0एन0एम0	410000	96644
5	2211-2880	एम0पी0डब्ल्यू	2530000	656018
6	2211-4602	स्टरलाईजेशन	252000	25200
7	2210-2283	निर्देशन प्रशासन एन0पी	466000	222541
8	2210-8150	एम0पी0डब्ल्यू एन. 0पी0	2670962	425420
9	2210-4245	मलेरिया	13680000	3405996
10	2210-859	कुष्ठ रोग	735000	231118
11	2210-993	क्षय चिकित्सालय	1392000	479270
12	2210-2777(01)	प्रा0स्वा0केंद्र	2750166	547905
13	2210-2777(03)	प्रा0स्वा0केंद्र	20471402	7382887
14	2210-077	अंधत्व निवारण	2605499	70839
15	2210-5998	सामु0स्वा0केंद्र	1088899	383910
16	2210-9812	उप स्वा.केन्द्रों की स्थापना	850239	0
17	2210-3463	म0स्वा0कार्य प्रशि	619500	209550
18	2210-7892	चिकित्सा गारंटी	500000	100000
19	2210-5868	राज्य स्तरीय रोगी सहायता कोष	1000000	1000000
20	41 / 2210 / 9812	उप स्वा.केंद्र स्थापना	95600	0
21	64 / 2210 / 5159	सामु0स्वा0केंद्र की स्थापना	357000	9354

विन्दु क्रमांक 12:-

कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी कार्यक्रम का विवरण:-
दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को अधिकतम रूपये 20000/- तक निःशुल्क उपचार प्रदाय किया जाता है । जिसके तहत वर्ष 2007-08 मे हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

विन्दु क्रमांक 13:-

विभाग द्वारा प्रदत्त कंसेशन छूट,परमिट या दिये गये प्राधिकार का विवरण- निरंक

विन्दु क्रमांक 14:-

इलेक्ट्रॉनिक रूप मे उपलब्ध जानकारीयों का विवरण- निरंक

विन्दु क्रमांक 15-

जनता द्वारा कार्यालय से सूचना प्राप्त करने हेत सुविधायें - सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान की जाती है ।

विन्दु क्रमांक 16-

कार्यालय के जन सूचना अधिकारी का नाम पद एव अन्य जानकारी:-

नाम:- डॉ0रामबीर सिंह रघुवंशी

पद:- प्र0मु0चि0एवं स्वा0अधिकारी(लोक सूचना अधिकारी)

पता:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना ।

ईमेल -

दूरभाष क्रमांक : 07542-252746

सम्पर्क का पता:- कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

विन्दु क्रमांक:- 17

अन्य जानकारी निरंक

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला गुना

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना(म0प्र0)

क्रमांक / सामान्य / सू0अधि0 / 07-08
प्रति,

गुना,दिनांक

श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला-गुना

विषय:-सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सुचारु रूप से कियान्वयन बावत् ।
संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक क्यू/अधी/नी-1/2007/922 दिनांक 29.08.2007

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार चाही गई एक लगायत सत्रह विन्दुओं की जानकारी तैयार कर तीन प्रतियों में मय सी0डी0के आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न:- जानकारी तीन प्रतियों में
एवं सी0डी0

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला गुना(म0प्र0)